उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-11/133/एक-1-2016-5(2)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 18 मार्च, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित श्रेणी 1 राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जेरे इन्तजाम जिला कलेक्टर, महोबा खाते की भूमि, का पुनर्ग्रहण/हस्तान्तरण अनुसूची के उपरान्त अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	कुलपहाड़ ग्रामीण	2731/8मि.	3.00	प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु।
2					2814/1मि.	0.90	
3					2814/6मि.	2.26	
				योग	**कुल 03 गाटा**	**6.16 एकड़**	

इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

shasnadesh.up.nic.in

2. प्रश्नगत भूमि को राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण/हस्तान्तरण कर प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखा जा रहा है। उक्त भूमि का उपयोग केवल राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता न होने पर अतिशीघ्र राजस्व विभाग को वापस कर दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

3. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-133(2)/एक-1-2016-5(2)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, चित्रकूट ।
4. जिलाधिकारी, महोबा को उनके पत्र संख्या-255/डीएलआरसी-12ए/2015-16, दिनॉक 30.11.2015 के सन्दर्भ में।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in